

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकडू
 बनाम उमला
 संख्या/वर्ष : २५५ / २०१५

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
३३/५२५	<p>पत्रावली पेश हुई वरील वादीउप क्रैफ्ट रिपोर्ट बर्ष में प्राप्त हो चुकी है जो लगेज है वह क्रैफ्ट पर बहत वरील वादी की हुनी गरी</p> <p>बहत वरील वादी की हुने एवं प्राप्त भौका क्रैश्वर की रिपोर्ट के अपलोड लेस्पष्ट है कि वादी ने अपने हितों की लम्बणी सुनि का बेचान कर दिया है। वाद के अखण्ड न. १० में पणित विवाहित आराजीयत रिफ्ट राजस रिफ्ट ने वादी के नाम दर्ज नहीं है। वादी के नाम राजस रिफ्ट में नहीं होने से उक्त सुनि का लडातक नहीं किया जा सकता है।</p> <p>अतः दावा भौका क्रैश्वर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के लते शुमार दोकर दर्ज नम्बर लेकके है</p>	

वि.
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकडू, जयपुर